ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ

कृष्ण गोपाल महावर
वरिष्ठ व्याख्याता, लोक प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय, कोटा (राज.)

शोध सारांश

ग्रामीण विकास का अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और उनके विकास के क्रम को आगे बढ़ाना है। यह एक ऐसी व्यूरचना है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को उन्नत बनाना है। भारत की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा उनका मुख्य पेशा कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्य है। कृषि उत्पादकता एवं शिक्षा के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध है अर्थात् शिक्षा उत्पादकता की वृद्धि में अहम् भूमिका निभाती है तथा अशिक्षा कृषि को आधुनिकीकरण तथा उच्च तकनीकों को व्यवहार में लाने का मार्ग अवरूद्ध करती है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के कृषक शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर ले तो ग्राम विकास की ऐसी अविरल गंगा बहेगी जिससे ग्राम जीवन के समस्त दोष बह जायेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विकास कार्यक्रमों का कुशल क्रियान्वयन सबसे अह्म चुनौति है। उक्त कार्यक्रमों का सफल निष्पादन का मुख्य भार पंचायती राज व्यवस्था पर है। अतः पंचायती राज व्यवस्था ही वह सक्षम धरातल है जिसकी छत्रछाया में ग्रामीण विकास की संकल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है तथापि इसमें कार्मिक प्रशासन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो उक्त कार्यक्रमों के सफल निष्पादन की मुख्य धुरी है। अर्थात् पंचायती राज साधन है और ग्रामीण विकास साध्य है।

प्रस्तावना –

प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत की समृद्धि का आधार मजबूत एवं गतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। भारत की अधिसंख्य जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है परन्तु समुचित रोजगार प्रबन्धन और सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण जनता शहरो की ओर पलायन कर रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। फलस्वरूप 'जनता का विकास', 'जनता के लिए विकास' तथा 'जनता द्वारा विकास' प्रमुख लक्ष्य रहा है। ग्रामीण विकास एक व्यापक संकल्पना है जिसमें लोक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं एवं निम्न वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना, आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाना एवं ग्रामीण जीवन का सर्वागींण विकास है।

ग्रामीण विकास केवल गांवों में विद्यालय भवन, अस्पताल, शौचालय, पंचायत भवन, कुंआ'–बावड़ी निर्माण, नाली, सड़क इत्यादि बनवाना ही नहीं अपितु यह उसका एक भाग मात्र है। ग्रामीण जनता में शिक्षा का सही संचार करना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वावलम्बी बनाना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति प्रोत्साहित करना आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। गांव हमेशा से सामाजिक, आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण इकाई के साथ–साथ अतीत से ही प्रशासन की महत्वपूर्ण संस्था रहा है। वैदिक काल के साहित्य में सभा और समितियों का उल्लेख मिलता है।[1] भारत गांवों का देश है। गांवों की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति एवं प्रगति निर्भर करती है। ये सभा और समितियां लोगों की भलाई के लिए काम करती थी। अथर्ववेद में इस आश्य का एक श्लोक भी मिलता है।

ये ग्रामा वदरण्यं या सभा अथिभूम्याम।
ये संग्रामाः समितियस्तेषु चारू वेदम ते।।

अर्थात् पृथ्वी के ग्रामों, वनों व सभाओं में हम सुन्दर (चाक) वेदयुक्त वाणी का प्रयोग करें। मनु ने अपने साहित्य में (गाँव), पुरा (टाउन) व नागरा (शहर) तीन तरह की आबादी होने का उल्लेख किया है। ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में गांधीजी ने सत्य कहा कि भारत गांवों का देश है और भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। किन्तु ग्रामीण जनसंख्या का निरन्तर शहरों की ओर पलायन हो रहा है और दूसरा पहलू यह है कि नगरों की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या1,21,01,93,422 है

जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 83,30,87,622 है जो कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत है जबकि शहरी जनसंख्या 37,71,05,760 है जो कुल जनसंख्या का 31.80 प्रतिशत है। इसी प्रकार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 5,15,40,236 है जो कुल का 75.10 प्रतिशत है। जबकि शहरी जनसंख्या 1,17,80,776 है जो कुल जनसंख्या का 24.89 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गांवों में निवास करता है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 640867 है।[2]

ग्रामीण विकास की अवधारणा –

ग्रामीण विकास की कोई सर्वमान्य तथा विवाद रहित वैश्विक परिभाषा नहीं है। अर्थशास्त्री इसे आर्थिक उत्पादकता से परिभाषित करते है, तो समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक रूप को विकास की दृष्टि से आंकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्रीकरण तथा सरकार का विस्तार ही विकास है जो प्रशासक की दृष्टि में कुशलता तथा कार्मिक क्षमता विकास के मापदण्ड हैं। जी.पार्थसारथी ने ग्रामीण विकास से तात्पर्य निर्धनों के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से उनके जीवन स्तर में सुधार से माना है। इस हेतु पूंजी एवं तकनीक का अच्छा उपयोग व गरीबों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।[3]

ग्रामीण विकास का अभिप्राय लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ–साथ समाज के सम्पूर्ण ढांचे में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है।[4] अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के अनुसार ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ठ समूह (ग्रामीण निर्धनों) आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूह रचना है। इस व्यूह रचना में लघु कृषकों, काश्तगारों और भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया जाता है।[5]

ग्रामीण विकास का सही अर्थ है, गाँव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊँचा करना और गांव को खुशहाल बनाना। इस प्रक्रिया में आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं का समावेश होता है।[6] ग्रामीण लोगों के लिए आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं उसी स्थिति में हो सकती है जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए, योजना का विकेन्द्रीकरण किया जाए। भूमि सुधारों को उपादेयता से क्रियान्वित किया जाए तथा ऋण व निवेश की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था, शिक्षा, पेयजल, उर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि की स्थिति में सुधार और ग्राम जनों की मनोवृतियों में परिवर्तन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।[7]

मिचेल पी.टोरेडो के अनुसार ग्रामीण विकास में निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

1. जीवन स्तर में सुधार अर्थात् रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास तथा सामाजिक सेवाओं में सुधार किया जाए।
2. ग्रामीण आय के वितरण में विद्यमान असमानता को कम करना तथा ग्रामों व शहरों के मध्य आय तथा आर्थिक अवसरों में संतुलन स्थापित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग देकर उनके विकास की गति बढ़ाना।[8]

विश्व बैंक ने अपने प्रकाशित ग्रामीण विकास परिपत्र में कहा है कि ग्रामीण विकास एक रणनीति है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में एक विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए है। यह श्रेणी ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों की है जिसमें छोटे किसान, भूमीहीन और स्त्रियाँ प्रमुख है। अगर विकास इस श्रैणी के व्यक्तियों को नहीं छू पाता तो इसका कोई अर्थ नहीं है।[9] होशियार सिंह ने ग्रामीण विकास को एक लचीली संकल्पना बताया है। जिसका सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों से है। इसमें कृषि विकास, सामाजिक–आर्थिक संरचना, उचित मजदूरी, भूमीहीनों को भूमि एवं आवास, ग्रामीण नियोजन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, सम्प्रेषण इत्यादि सम्मिलित है।[10]

रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार, ग्रामीण विकास एक ऐसा प्रयास है जो गांवों की संस्कृति को बरकरार रखते हुए आधुनिक संसाधनों के उपयोग से ग्रामीणों के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक व नैतिक उत्थान में सहायक हो।[11] विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को गरीबी रेखा परिसम्पत्तियों का निर्माण

करना, साामाजिक–आर्थिक दशा को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना आदि ग्रामीण विकास के प्रमुख घटक कहे जा सकते हैं।[12]

ग्रामीण विकास को यदि संकुचित अर्थ में लिया जाए तो कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि ही ग्रामीण विकास है। किन्तु कृषि उत्पादन बढ़ाने मात्र से ग्रामीणों को सशक्त विकास क्रम में खड़ा नहीं किया जा सकता। ग्रामीण विकास को हमें ग्रामीणों की सर्वांगीण उन्नति के दृष्टिकोण से आंकना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण जीवन की गुणवत्ता में सुधार ही ग्रामीण विकास का अन्तिम ध्येय है। अतः ग्रामीण विकास का एक व्यापक एवं सार्थक दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन के साथ ही कृषि का सम्पूर्ण विकास कर उत्पादन में तेजी से वृद्धि अंकित हो सके। इसके अन्तर्गत सिंचाई, विधुत और भूमि सुधार के साथ–साथ मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान के संसाधन जुटाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी पर सीधा प्रहार किया जाए जिससे ग्रामीण विकास की संकल्पना को परिणामोंन्मुखी की ओर उन्मुख किया जा सके।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज –

ग्रामीण विकास वर्तमान जीवन की आवश्यकता ही नहीं अपितु अपरिहार्य है, क्योंकि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे गांव आज भी उपेक्षित हैं। गरीबी एवं अशिक्षा ऐसे कारक है जिसमें सम्पूर्ण ग्रामीण विकास को प्रक्रिया को अवरूद्ध किया हुआ है। ग्रामीण विकास इसलिए भी अनिवार्य है कि सदियों से ग्रामीण समुदाय (विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला वर्ग) अन्धविश्वास एवं सामाजिक कुरूतियों के जंजाल में फंसा हुआ है। अर्थात् शिक्षा एवं रोजगार के साथ–साथ सामाजिक परिवर्तन भी आवश्यक है जिससे कि ग्रामीण समुदाय राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकें। यह तभी सम्भव है जब गांवों में विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सशक्त ढंग से सम्भव हो। अतः ग्रामीण विकास को एक कार्यक्रम ही नहीं अपितु एक आन्दोलन के रूप में अपनाना होगा। यह आन्दोलन तभी सफलता की मंजिल पा सकता है जब समग्र विकास कार्यक्रमों का सफल एवं प्रभावी निष्पादन हो।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अन्ततोगत्वा पंचायती राज व्यवस्था पर आ गया है। क्योंकि राज्य एवं जिला प्रशासन केवल पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करते है। वास्तविक धरातल पर उक्त कार्यक्रमों का निष्पादन पंचायती राज द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना एवं रह रहे लोंगों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना प्रारम्भ से ही विकास योजना का मुख्य ध्येय रहा है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि केवल आर्थिक विकास से ही समाज के अत्यधिक उपेक्षित वर्गों को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए सरकार ने कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का सहारा लिया है। ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन एवं सामाजिक विकास में सुधार करने के लिए आधारभूत ढांचे के संवर्धन के अतिरिक्त ग्रामीण गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करते हुए परिसम्पत्तियों के सृजन और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के जरिये निर्धनतम लोगों तक पहुचंने का प्रयास किया गया है।[13]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई अग्रणी प्रयोग किये गए जिनमें मुख्य थे रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा **'ग्राम श्री'** और महात्मा गांधी द्वारा **'ग्राम स्वावलम्बन''**।[14] स्वतंत्र भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का जो ढ़ाँचा है उसमें आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कृषि कार्य में सुविधा, लगान की छूट, शिक्षा व स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था और समानता का अधिकार आदि अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ति की आशा सरकार से की जाने लगी। सरकार ने ग्रामीण विकास नीति के अन्तर्गत समुदायों को साधनों की उपलब्धता के अनुरूप विकास कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने का प्रयासे किया। स्वतन्त्रता से पूर्व गांवों में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर जमीदारों, सामंतों और भू–पतियों का स्वामित्व था। गांव में ही किसानों का शोषण रोकने के लिए सर्वप्रथम कदम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके उठाया गया। इस कदम से किसानों , मजूदरों और पिछड़ों के विकास के लिए नई योजनाएँ लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

1970 के बाद राजस्थान राज्य द्वारा गरीब और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाये गए। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है – सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (1957) पैकेज कार्यक्रम (1960), गहन जिला कृषि कार्यक्रम (1964), जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (1972), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1972), काम के बदले अनाज योजना (1977) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (1977) ट्राईसेम योजना (1979), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979), राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम (1979), नया बीस सूजी कार्यक्रम (1982), ग्रामीण भूमीहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम (1983), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (1983), जवाहर रोजगार योजना (1989), वर्तमान समय में राज्य द्वारा प्रायोजित आई. आर.डी.पी. एवं जे.आर.वाई. ग्रामीण क्षेत्रों गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रम है।

गांवों का बहुमुखी विकास करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उक्त संस्थाएँ इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इस प्रकार इनका प्रमुख उद्देश्य गरीबी की रेखा से जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को रोजगारकारी व साधनहीनता के आभास से मुक्ति एवं स्वरोजगार पाना है।[15] ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर दिये गये अधिक बल को ध्यान में रखते हुए 1994–95 में 7070 करोड़ रूपये 1995–96 में 8310 करोड़ रूपये तथा 1996–97 में इसे और बढ़ाकर 8692 करोड़ रूपये, कर दिया गया है। बढ़ती हुई इस प्रवृति को वर्ष 1997–98 में भी बनाए रखा जायेगा।[16]

विकास योजनाओं के निष्पादन सम्बन्धी चुनौतियाँ –

ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती राज और कार्मिक प्रशासन की राष्ट्रीय भागीदारी उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा प्रभावी नीतियां बनाने की मंशा निरन्तर की जाती रही है। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की स्थापना के साथ विकास कार्यक्रमों के समस्त क्रियान्वयन एवं गांवों के समग्र विकास हेतु उत्तरदायी बनाया गया किन्तु दुर्भाग्य यह रहा कि उक्त संस्थाएँ अपेक्षाओं के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति में असफल रही।

पंचायती राज के प्रारम्भ से लेकर आज तक यह दुर्भाग्य रहा है कि इनका स्वयं का कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ कार्यरत सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते है जिससे अधिसंख्य कर्मचारी असंतुष्ठ पाये गये और वे अपने गृह विभाग में जाने को आतुर रहते है। इस असंतुष्टि का घातक परिणाम यह होता है कि वे विकास कार्यक्रमों के संचालन में विशेष रूची नहीं लेते और अपने इस काल को अवकाश काल मानकर समय व्यक्तिगत करने का मानस बना लेते हैं। यद्यपि ग्राम पंचायतों में कुछ पदों पर ग्राम सेवकों की नियुक्ति की जाती है, किन्तु पदोन्नति के अवसर से वंचित रखने के कारण वे जिस पद से कार्य शुरू करते है उसी पद से सेवानिवृत हो जाते है। अतः विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की यह मुख्य समस्या बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्न प्रकार है –

1. ग्रामीणों में सक्रिय सहभागिता का अभाव
2. जिला एवं राज्य स्तरीय कठोर नियंत्रण से द्वेध शासन की पुनरावर्ती
3. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (विशेषकर महिलाओं) के लिए समुचित प्रशिक्षण का अभाव।
4. पंचायती राज के सरकारी एवं गैरसरकारी सदस्यों में सत्ता संघर्ष के कारण शीत युद्ध का प्रारम्भ।
5. भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही के चक्रव्यूह में दम तोड़ती शासन व्यवस्था।
6. जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों में स्वहित हेतु निर्मित गठबंधन ।
7. विभिन्न विकास कार्यक्रमों में एकरूपता का अभाव एवं आंशिक प्रचार–प्रसार ।
8. विकास कार्यक्रमों के लाभ की जटिल प्रक्रिया एवं अनावश्यक औपचारिकता
9. अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव मुख्य चुनौतियाँ।
10. महिला जन प्रतिनिधियों के प्रति भारतीय मानसिकता में आंशिक परिवर्तन इत्यादि।

निष्कर्ष एवं सुझाव –

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित मनुष्यों (कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सामान्य जनसमूह) के कार्य व्यवहार तथा उनके सामाजिक–आर्थिक व शैक्षणिक परिवेश से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। हमारे गांवों की अधिसंख्य जनता अशिक्षा

एवं अन्धविश्वास के दलदल से अभी तक निकल पाने में असमर्थ रही है। इस सन्दर्भ में हमारी सरकारें कम दोषी नहीं है, क्योंकि यदि सरकार चाहे तो आने वाले दशक में इस कुचक्र से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति सरकार की इच्छा शक्ति का दमन करती है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं किन्तु उनकी प्रक्रिया अत्यधिक जटिल एवं अनावश्यक नियमों के मायाजाल में फंसी हुई है। इस अत्यन्त कटोर प्रक्रिया का लाभ भ्रष्ट कर्मचारी, सत्तालोलुप राजनीतिज्ञ तथा मध्यस्थों (दलालों) द्वारा उठाया जा रहा है। उक्त प्रणाली भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही को बढ़ाने में सहायक है और गरीब व लाचार जनता अपने दुर्भाग्य को कौसती रह जाती है। उक्त कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव निम्न प्रकार है–

1. ग्राम स्तरीय सचिवालय एवं स्थायी सतर्कता समितियों की स्थापना।
2. पंचायती राज सेवा गठन एवं पृथक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था का गठन ।
3. विभिन्न विकास योजनाओं का एकीकरण एवं समग्रीकरण।
4. लाभ की प्रक्रिया तथा नियमों को लचीला व सरलीकरण किया जाए।
5. बालिका शिक्षा एवं ग्रामीण जागरूकता व जनसहभागिता पर विशेष बल।
6. सामाजिक कुरूतियों से निपटने के लिए विधि का कठोरता पूर्वक क्रियान्वयन एवं निष्पादन।
7. बजट का प्रभावी क्रियान्वयन एवं लेखा परीक्षण में तीव्रता।
8. पंचायती राज जनप्रतिनिधियां के लिए समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था।
9. वास्तविक गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की गारंटी।

अन्त में कहा जा सकता है कि विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में प्रमाणिक तथ्य यह है कि एक ओर हमारी लोक सेवा अपने–आपको विकास प्रशासन के अनुरूप ढाल पाने में असमर्थ रही है। लोक सेवकों में आज भी अहंवादी भावना, संवेदनशीलता का अभाव, मूल्यविहिन दृष्टिकोण तथा नीतियों व कानूनों के माध्यम से अनुचित प्रभाव जमाने की भावना निहित है।वहीं दूसरी ओर सामान्य जनता में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है। आज भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार एवं लालफीताशाही ने सम्मान का रूप धारण कर लिया है। इस व्यवस्था में सामान्य जनसमूह की तो मिसाल ही क्या, बुद्धिजीवी एवं राजनेता भी नतमस्तिष्क हो जाते है। अतः सामान्य जन को **स्वयं अपना दीपक** बनना होगा। उनकी सहभागिता, शिक्षा एवं जागरूकता ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की मंजिल है।

सन्दर्भ सूची

1. महिपाल, पंचायती राज, चुनौतियां एवं सम्भावनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2010, पृ. 4–5
2. कटारिया, सुरेन्द्र, भारतीय लोक प्रशासन, जयपुर नेशनल पब्लिशिंग हाउस,2012, पृ.64
3. पार्थसारथी, जी., इन्टीग्रेटेड रूपल डवलपमेंट : कन्सेटट थ्योरिरिकल बेस एण्ड कन्ड्राक्शन इन रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया (एडीटेड) दिल्ली,एग्रीकोल पब्लिशर्स 1981, पृ.25
4. यादव, सुबह सिंह व सत्यभवन, ग्रामीण विकास का आधुनिक दर्शन,जयपुर सबलाइन पब्लिकेशन, 1997,पृ. 2
5. स्वामी, एच.आर.व गुप्ता, बी.सी., विकास एवं सहकारिता, जयपुर, रमेश बुक डिपो, 1994, पृ 2
6. मिचेल पी.टोरेडों, इकॉनोमिक्स फॉर डवलपिंग वर्ल्ड, लन्दन, लागमान ग्रुप 1977, पृ. 249
7. जाट, सांवर लाल एवं शर्मा प्रकाश, ग्रामीण विकास एक अध्ययन (ग्रामीण विकास के बन्धक पहलू) सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1991, पृ. 6
8. सरदाना, जयबाला, गैरसरकारी संस्थाएँ और ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास समीक्षा, ,खण्ड–2, अंक 22, जुलाई–दिसम्बर, 1997, एन.आई. आर.डी., हैदराबाद, पृ. 71
9. माहेश्वरी, एस.आर.,रूरल डवलपमेंट इन इण्डिया, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन्स, 1985, पृ. 18
10. सिंह, होशियार, एप्रोचेज टू रूरल डेवलपमेंट इन इवेल्यूवेटिव सर्वे (एडिटेड) डवलपमेंट इन इण्डिया जयपुर, प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, 1985, पृ.9

11. शर्मा, बी.जी., जनसहभागिता से ग्रामीण विकास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000,पृ. 58
12. नारायण इकबाल, पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 1973
13. कुरूक्षेत्र, नवम्बर 1994, पृ. 13
14. योजना, दिसम्बर, 1994, पृ. 2
15. पंचायती राज का नवीन स्वरूप, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर, पृ. 39
16. भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 1996–97, पृ. 9